



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 167 राँची, सोमवार,

20 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

16 मार्च, 2023

संख्या:- 16/ प्र०सु०-02-05 / 2014 का. 1578--विभागीय अधिसूचना संख्या- 5637 दिनांक 25.06.2015 द्वारा झारखण्ड आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति नियमावली, 2015 का गठन किया गया है ।

2. उक्त नियमावली के नियम-5 के अनुसार “आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उभयकाल दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारी कर्मियों / अन्य कार्यरत कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा बशर्ते ऐसे कर्मी न्यूनतम 3 माह की अवधि के लिए नियोजित किये गये हों। इसमें संविदा / दैनिक वेतनभोगी कर्मी भी शामिल रहेंगे। यदि नियोजन 3 माह की अवधि से कम का हो, तो सम्बन्धित कार्यालय/विभाग पूर्व की व्यवस्थानुसार उपस्थिति का अभिलेखन अनुरक्षित करेंगे ।”

3. साथ ही उक्त नियमावली के नियम-16 के अनुसार “किसी उपबन्ध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अन्तिम होगा।”

4. इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के सापेक्ष Coronavirus के प्रकोप को दृष्टिपथ में रखते हुए एहतियाती उपाय के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या- 1833, दिनांक 11.03.2020 द्वारा उक्त नियमावली के नियम-5 के अन्तर्गत बायोमैट्रिक प्रणाली में ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था अस्थायी तौर पर अगले आदेश तक के लिए स्थगित की गई है। इस अवधि (स्थगन काल) में सभी सरकारी कर्मियों द्वारा पूर्व की व्यवस्था के तहत उपस्थिति पंजी में मैनुअल उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है।

5. स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-84(1), दिनांक-10.02.2023 के द्वारा राज्य में कोविड-19 का संक्रमण नगण्य होने के फलस्वरूप बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली में ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज करने की निर्धारित प्रक्रिया प्रारंभ करने का मंतव्य दिया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली दिनांक 01.04.2023 से पुनः प्रारंभ की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आसिफ हसन,

सरकार के उप सचिव।
